

अपतटीय क्रिप्टो फर्मों को PMLA नोटिस

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

[वित्तीय आसूचना एकक- भारत \(Financial Intelligence Unit India- FIU-IND\)](#) ने [धन-शोधन नविवरण अधिनियम \(Prevention of Money Laundering Act- PMLA\)](#) के अपेक्षित उपबंधों का अनुपालन नहीं करने के लिये [बाइनैस \(Binance\)](#), [कुकोइन \(Kucoin\)](#), [हुओबी \(Huobi\)](#) सहित 9 अपतटीय [क्रिप्टोकरेंसी](#) तथा [वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स \(VDA SPs\)](#) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

धन-शोधन नविवरण अधिनियम (PMLA), 2002 क्या है?

परिचय:

- **PMLA** धन-शोधन और संबंधित अपराधों की नविवरण हेतु वर्ष 2002 में अधिनियमि एक भारतीय कानून है।
 - धन-शोधन में **वधि-विरुद्ध रूप से प्राप्त धन को वित्तीय प्रणाली में एकीकृत करके वधि सममत अथवा "वैध" दिखाना** शामिल है।
- इसे वर्ष 2002 में धन-शोधन के खतरे से निपटने के लिये भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता (**वयिना अभसिमय**) की प्रतिक्रिया में अधिनियमि किया गया था।

नियामक प्राधिकारी:

- **प्रवर्तन नदिशालय (ED)** मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच और मुकदमा चलाने के लिये जमिमेदार प्राथमिक प्राधिकरण है।
 - यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है।
 - हाल ही में, सर्वोच्च न्यायलय ने नरिणय सुनाया है कि ED PMLA के तहत किसी को केवल उनके सवालों और समन का प्रतयुत्तर नहीं देने के लिये गरिफ्तार नहीं कर सकता है।
- **FIU-IND** एक राष्ट्रीय एजेंसी है जो प्रवर्तन एजेंसियों और वदिशी FIUs को संदिग्ध वित्तीय वनिमि से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, प्रसंस्करण, वशिलेषण एवं प्रसारण के लिये जमिमेदार है।
 - यह एजेंसी वित्त मंत्रालय के अधीन काम करती है।

VDA SP हेतु PMLA अनुपालन दायित्व क्या है?

- **पंजीकरण की आवश्यकता:** वर्चुअल डिजिटल परसिंपत्तियों और फिएट मुद्राओं, सथानांतरण, संरक्षण या डिजिटल संपत्तियों पर नरियंत्रण से जुड़ी गतविधियों में लगे **VDA SP** को **रिपोर्टिंग संस्थाओं के रूप में FIU-IND के साथ पंजीकृत होना चाहिये**।
- **गतविधि-आधारित अनुपालन:** PMLA के तहत अनुपालन दायित्व **भौतिक उपस्थिति पर नरिभर नहीं है**, बल्कि **गतविधि-आधारित है**, जिसमें रिपोर्टिंग, रिकॉर्ड-कीपिंग और अन्य नरिदष्टि दायित्व शामिल हैं।
- **नियामक ढाँचे का वसितार और प्रवर्तन (Regulatory Framework Expansion and Enforcement):** मार्च 2023 में वनिमिमक दायरे का वसितार हुआ, जिससे **VDA SPs** को **PMLA के अंदर धनशोधन रोधी (AML) और काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म (CFT) ढाँचे के तहत लाया गया**।
 - धन शोधन नविवरण कानून (anti-money laundering law) के तहत, **रिपोर्टिंग संस्थाएँ अपने ग्राहक को जानें (KYC) वविरण**, ग्राहक पहचान रिकॉर्ड, लाभकारी मालिकी की जानकारी, बही खाता और ग्राहकों से संबंधित व्यावसायिक पत्राचार को बनाए रखने के लिये बाध्य हैं।
 - इसके अलावा, रिपोर्टिंग संस्थाओं को आयकर अधिनियम के तहत वर्ष के दौरान बनाए गए वशिष्ट वित्तीय लेनदेन या रिपोर्ट करने योग्य खातों के वविरण वाले **वित्तीय लेनदेन वविरण (SFT)** दाखलि करने की आवश्यकता होती है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न . चर्चा कीजिये कऱ कसऱ प्रकार उभरती प्रौद्योगकऱयऱँ और वैश्वीकरण मनी लॉन्डरगऱ में योगदान करते हैं । राषट्रऱय और अंतरराषट्रऱय दोनों स्तरों पर मनी लॉन्डरगऱ की समस्या से नपऱटने के लयऱ कयऱ जाने वऱले उपायों को वसऱतऱर से समझऱइये । (2021)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/pmla-notice-to-offshore-crypto-firms>

